

विशेष सूचना

दिनांक:- 05/07/2022

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के प्रावधानुसार हितग्राहियों को शिक्षा सहायता प्रदाय हेतु।

सत्र 2021-22 में प्रवेशित विद्यार्थी जिनके माता या पिता की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो जो 01 मार्च 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में हुई है। योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि-

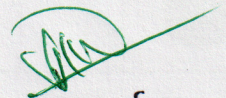
ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उस से कम है, परन्तु स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो और जिनके -

1. माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
2. माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. प्रभावित छात्र/छात्रा का परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो।
(स्थानीय प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
5. परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो।
6. बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन की पात्रता हो।

आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

- योजना अंतर्गत सभी आवेदन दस्तावेजों सहित योजना के लिए निर्मित पोर्टल covidbalkalyan.mp.gov.in पर ही प्राप्त किए जायेंगे।

उपरोक्त लिंक किसी भी कम्प्यूटर/लेपटॉप से भी स्वयं द्वारा किया जा सकता है। अतः छात्रवृत्ति फार्म तथा समस्त दस्तावेजों के साथ दिनांक 10/07/2022 तक महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


प्राचार्य

PRINCIPAL

St. Aloysius College (Autonomous)
JABALPUR- 482001 (M.P.)
INDIA